

देश टिका दश टिका दस रुपिया कडु ರೂಪಾಯಿ ದಶ ರೂಪಾಯಿ ದहा रुपये ଦଶ ರೂପಾಯಿ दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO पक्ष प्रेश्वरान्त भाफीसर
सडक परिवहन श्रवण शूल भाग मितालय
भारत सरकार नई दिल्ली को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT



सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE:

दिगम्बर लाल कठु घा 10 की दिशाराजपुरा
273 देवागंज - फतेहपुर
पुरानी कचेदरी रोड जिणफतेहपुर

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

34F 452539

பக்கம் குடியும்

சத மெவ ஜயதே



पोस्ट मास्टर POSTMASTER

पूरी रकम बसूल पायी
RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर **PAYEE'S SIGNATURE**

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता - जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 24 महीने और वित्तीय कमिशन के भुगतान जारी करने के महीने की अंतिम दिन से 36 महीने।
Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र.मु.है. / S.P.P.HYD

सेवा में,

श्रीमान् केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली (भारत सरकार) (इंचार्ज आर०टी०आई०सेल)

विषय- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई
सूचनाओं को 30दिन के अन्दर देने के सम्बन्ध में-

1. मोटर वाहन नाम [मैक मॉडल]

1613	2518	3118	3718	4018	4923
1 घुरी अगली 1 घुरी पिछली	1 घुरी अगली 2 घुरी पिछली	1 लिफ्टर, 1 घुरी अगली 2 घुरी पिछली	1 लिफ्टर 2 अगली घुरी 3 पिछली घुरी	1 अगली घुरी 4 पिछली घुरी	1 अगली घुरी 5 पिछली घुरी

वाहन सहित भार वाहन क्षमता -

15100 Kg.	25000 Kg.	31000 kg.	37000 Kg.	40000 kg.	49000 kg.
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

उपरोक्त उक्त में आर वाहन क्षमता में कितने प्रतिशत टॉलरेंस "10% + वाहन
शीर्षक के अधीन छूट प्रदान की गयी है लिखित एवं प्रमाणित सूचना
देने की कृपा करें।

2. आपके मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना
7 जनवरी 2016 स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए मोटर यान
अधिनियम 1988 [1988 का 59] के धारा 113 की उपधारा (3) के अनुपालन के
प्रयोजन के लिए ऊपर यथाविनिर्दिष्ट सकल यान वजन और सुरक्षा घुरी वजन में
पाँच प्रतिशत तक सहनशीलता अनुज्ञात की जा सकेगी [संख्या. आर. टी. 11036/
92/2015-सम्बन्धित] अश्वय दामले संयुक्त सचिव द्वारा जारी भारत राजपत्र
टिप्पणी- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग-11, खण्ड-3, उपखण्ड(ii)
तारीख 18 अक्टूबर 1996 में अधिसूचना सं. का. आ. 728 (अ.) द्वारा प्रकाशित की
गई थी तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण भाग(ii) खण्ड 3, उपखण्ड(iii) तारीख
26 मई 2000 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 517 (अ) द्वारा उसका संशोधन
किया गया था। जिसकी लिखित व प्रमाणित दृष्टावृत्ति देने की कृपा करें।

उपरोक्त मांगी गई सूचनाएँ समयावधि 30दिन के अन्दर देने

की कृपा करें।

साथ में संलग्न-

पोस्टल आर्डर संख्या-34F452539

मूल्य-10रु = 10/= रुपये

दिनांक- 20/9/2017

पार्श्व

दिनांक 20/9/2017

273, देवीगंज-फतेहपुर

मो.नं. 8787027034



Scan & send to
US (Mrs) Ms. Dhankar

13/11
Soleer

O/o C. R. Section (RTH)
 Dairy No. 1250787/2017
 Date: 13/10/2017

924

